



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18052024-254229
CG-DL-E-18052024-254229

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 260]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 17, 2024/वैशाख 27, 1946

No. 260]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 17, 2024/VIASAKHA 27, 1946

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2024

सा.का.नि. 281(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी सचिव क्वालिटी पुनरीक्षण बोर्ड बैठक प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवाशर्तें तथा भत्ते नियम, 2006 के नियम 8 के उपनियम (1) के साथ पठित कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 29क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट निम्नलिखित व्यक्ति को क्वालिटी पुनरीक्षण बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार की कारपोरेट कार्य मंत्रालय में भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि.सं.490(अ) तारीख 13 जुलाई, 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“(5). श्री प्रमोद कुमार राय,

सदस्य”

कंपनी सचिव और
अनुपालना अधिकारी, नेस्ले
इंडिया लिमिटेड

3. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 3(4)प्रकीर्ण/2015-पीआई]

इंदर दीप सिंह धारीवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 490(अ) तारीख 13 जुलाई, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती संशोधन सा.का.नि. 68 (अ) तारीख 6 फरवरी, 2012 ; सा.का.नि. 564(अ) तारीख 21 अगस्त, 2013 ; सा.का.नि. 323 (अ) तारीख 27 अप्रैल, 2015 ; सा.का.नि. 969 (अ) तारीख 15 दिसंबर, 2015 ; सा.का.नि. 328 (अ) तारीख 22 मार्च, 2016 ; सा.का.नि. 539 (अ) तारीख 23 मई, 2016 ; सा.का.नि. 1246 (अ) तारीख 11 अक्टूबर, 2017 ; सा.का.नि. 1001 (अ) तारीख 8 अक्टूबर, 2018; सा.का.नि. 33 (अ) तारीख 14 जनवरी, 2020 ; सा.का.नि. 339(अ) तारीख 1 जून, 2020 ; सा.का.नि. 726 (अ) तारीख 16 नवंबर, 2020 ; सा.का.नि. 819 (अ) तारीख 14 नवंबर, 2022 ; और अंतिम संशोधन सा.का.नि. 734 (अ) तारीख 12 अक्टूबर, 2023 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 2024

G.S.R. 281(E).—In exercise of the powers conferred by section 29A of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980), read with sub-rule (1) of rule 8 of the Company Secretaries Procedures of Meetings of Quality Review Board, and Terms and Conditions of Service and Allowances of the Chairperson and Members of the Board Rules, 2006, the Central Government hereby appoints the following person nominated by the council to be a member of the Quality Review Board and for that purpose makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 490(E), dated the 13th July, 2007, namely:-

2. In the said notification, for serial number (5) and entries relating thereto, the serial number and entries shall be substituted, namely:-

“(5). Shri Pramod Kumar Rai, Member.”
Company Secretary and Compliance officer,
Nestle India Ltd.

3. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 3(4) Misc./2015-PI]

INDER DEEP SINGH DHARIWAL, Jt. Secy.

Note:—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R. 490(E), dated the 13th July, 2007 and subsequently amended vide number G.S.R. 68(E), dated the 6th February, 2012; G.S.R. 564(E), dated the 21st August, 2013; G.S.R. 323(E), dated the 27th April, 2015; G.S.R. 969(E), dated the 15th December, 2015; G.S.R. 328(E), dated the 22nd March, 2016; G.S.R. 539(E), dated the 23rd May, 2016; G.S.R. 1246(E), dated the 11th October, 2017; G.S.R. 1001(E), dated the 8th October, 2018; G.S.R. 33(E), dated the 14th January, 2020; G.S.R. 339 (E), dated the 1st June, 2020; G.S.R. 726 (E), dated the 16th November, 2020; G.S.R. 819 (E) dated the 14th November, 2022 and the lastly amended G.S.R. 734 (E) dated 12th October, 2023.